



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25032026-271293
CG-DL-E-25032026-271293

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1512]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2026/चैत्र 4, 1948

No. 1512]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2026/CHAITRA 4, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2026

का.आ. 1577(अ).— केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “आयकर अधिनियम” से संदर्भित किया गया है) की धारा 10 के खंड (46ए) के उप-खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, “पटियाला शहरी नियोजन एवं विकास प्राधिकरण” (पैन AAALP0095J) (एतश्मिन् पश्चात् जिसे “निर्धारिती” से संदर्भित किया गया है), को उक्त खंड के प्रयोजन के लिए पंजाब क्षेत्रीय एवं नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1995 (अधिनियम 1995 का 11) के तहत गठित प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित करती है।

2. यह अधिसूचना निर्धारण वर्ष 2024-25 से प्रभावी होगी, बशर्ते कि निर्धारिती आयकर अधिनियम की धारा 10 के खंड (46ए) के उपखंड (ए) में निर्दिष्ट एक या अधिक उद्देश्यों के साथ पंजाब क्षेत्रीय और नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1995 (अधिनियम 1995 का 11) के तहत गठित प्राधिकरण बना रहता है।

[अधिसूचना सं. 30 /2026/फा.सं. 300195/21/2024-ITA-I]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव से (बोर्ड/ आयकर विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से) लागू करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।